प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'पचपन'

[21/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 5122]

विधानसभा 5122 के प्रश्नांश (क) का परिशिष्ट 01

1. निर्भया फंड के अंतर्गत केंद्र शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के अगस्त 17 माह में सेफ सिटी कार्यक्रम अंतर्गत राशि रू. 1,04,70,600/- (एक करोड चार लाख सत्तर हजार छः सौ मात्र) एवं माह दिसंबर 17 में महिला पुलिस वांलिटियर अंतर्गत राशि रू. 30,17,880/- (तीस लाख सत्रह लाख आठ सौ अस्सी रू. मात्र) की स्वीकृति प्रदेश के लिये किया गया है।

2. निर्भया फंड से भारत शासन द्वारा वन स्टाप सेन्टर योज़ना के संचालन एंव भवन निर्माण हेतु माह मार्च-अप्रैल 2017 में राशि रुपए 7,73,47,650/- (सात करोड़ तिहत्तर लाख सैंतालीस हज़ार छह सौ पचास रुपए मात्र) 17 जिलो को एवं माह जनवरी 2018 में राशि 1,31,27,264/- (एक करोड़ इकतीस लाख सत्ताईस हज़ार दो सौ चौंसठ रुपए मात्र) 8 जिलो को सीधे खातो में प्रदाय की गयी।

3. निर्भया फंड से भारत शासन द्वारा वुमन हेल्पलाईन के संचालन हेतु राशि रुपए 62,70,000/- (बासठ लाख सत्ताईस हज़ार रुपए मात्र) राज्य शासन को प्रदाय की गयी है।

अपर संचालक
महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

विधानसभा 5122 के प्रश्नांश (ख) का परिशिष्ट 02

1-वन स्टाप सेन्टर योजना अंतर्गत निम्नानुसार राशि व्यय कि गयी।

क्र.	वर्ष	संचालन हेतु	भवन निर्माण (रु)	योग (रु)	रिमार्क
1	2016-17	1416869	निरंक	1416869	
2	2017-18	10791284	24573350	35364634	भवन निर्माण हेतु राशि लोक निर्माण विभाग (PIU) को प्रदाय की गयी है।

अपर संचालक
महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

1- सेफ सिटी कार्यक्रम- महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित और महिला केन्द्रित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध करना है ताकि वो निर्भय होकर हिंसा मुक्त जीवन का आनंद ले सके. यह एक बहुआयामी कार्यक्रम है जिसमे प्राशासकीय विभाग, नागरिक, सामाजिक संगठन, शैक्षिक संस्थान, समुदाय, शौर्यादल, मोहल्ला समिति और युवा इत्यादि शामिल है. यह कार्यक्रम इन विभिन्न सह इकाइयों के साथ रणनैतिक गठबंधन तैयार कर focused गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा का सामूहिक प्रयास करता है.

प्रदेश के 6 जिलों भोपाल , ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, बुरहानपुर, छतरपुर) में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है।

रणनीति:-

- विभिन्न हितधारकों जैसे परिवहन विभाग, गृह / पुलिस विभाग, शहरी प्रशासन, स्कूल शिक्षा एवं अन्य विभाग इत्यादि के लिए प्रशिक्षण व क्षमता सर्वधन कार्यक्रम
- शौर्या दलों का गठन और क्षमता सर्वधन
- शैक्षणिक संस्थानों में नियुक्त जेंडर चैंपियन और नोडल शिक्षकों का प्रशिक्षण और क्षमता संर्वधन
- शहरी प्रशासन और विकास निदेशालय हेतु जेंडर संवेदनशील, स्मार्ट एवं सेफ शहर कार्यशालाओं का आयोजन
- सुरक्षित एवं जेंडर संवेदनशील सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु यू.एल.बी. के साथ कार्यशाला और प्रशिक्षण का आयोजन ;
- सुरक्षा ऑडिट, सर्वेक्षण और फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) का आयोजन
- संबंधित अधिकारियों के साथ साझेदारी द्वारा सुरक्षा की शर्तों को सुनिश्चित करवाया जाना एवं सुरक्षा आडिट की सिफारिशों को लागू करवाया जाना
- महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा संबंधी जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु जागरूकता और एडवोकेसी

2- महिला पुलिस वांलिटियर –

राज्य में महिलाओं के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्मित करने हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय नई के सहयोग से घरेलु हिंसा बाल विवाह, दहेज उत्पीडन जैसे मामलों के लिये पुलिस अधिकारियों एवं पीडित महिलाओं के बीच की कडी के रूप में काम करने के लिये सामाजिक रूप से जागरूक महिलाओं को विकसित किये जाने हेतु पुलिस विभाग के सहयोग से महिला पुलिस स्वयंसेवक (वांलिटियर) की नियुक्ति की जाना है। वर्तमान में प्रदेश में पायलट रूप से दो जिले में महिला पुलिस स्वयंसेवक (वांलिटियर) योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

अवर सचिव / अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
महिला एवं बाल विकास विभाग

उप संचालक
संचालनालय महिला सशक्तिकरण
मध्यप्रदेश